(ख) क्या किसी मकान नं० पर न तो चूल्हा टैक्स देने वाले का नाम बताया गया और न ही भूमि का ब्यौरा दिया गया जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गई सूची के क्रम संख्या 8 में दर्शाया गया है कि मकान नं० 64-ए की भूमि और नाम तो बता दिया गया है परंतु 400 वर्ग गज से अधिक के मकान नं० 64 के मालिक और चूल्हा टैक्स देने वाले उनके पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और इसी प्रकार मकान नं० 77 और मकान नं० 71 के मामले में हुआ है तथा क्या इस प्रकार के और भी कई मामले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अड़कपुर बाग मोची के चूल्हा कर-दाताओं का सर्वेक्षण 4-6-86 को किया गया था सर्वेक्षण में, वहां रहने वाले चूल्हा करदाताओं और उनके उत्तराधिकारियों के नाम तथा आबादी में उनके कब्जे के क्षेत्र आदि की सूची बनाई गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पुरानी आबादी में रह रहे किसी भी चल्हा करदाता और उसके उत्तराधिकारी को सर्वेक्षण सूची में से छोड़ा नहीं गया है।

(ख) (और) (ग) आबादी के अंदर रह रहे सभी चूल्हा करदाताओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज किए गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सर्वेक्षण के समय सर्वश्री मान सिंह, किशन चंद, रूप चन्द, और हरीश कुमार ने अपना मकान नंबर 64ए बताया था और उनके कब्जे वाले समग्र क्षेत्र को दर्ज किया गया था। अन्य मकान नं० 77/1 और 71 अड़कपुर बाग मोची की पुरानी आबादी में स्थित नहीं है। इसलिए, उनके नाम सूची में दर्ज नहीं किए गए थे।

National Scheme for abolition of Scavenging

3459. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether there was a scheme to identify scavengers in the country by 31st July, 1992, under the National Scheme for abolition of Scavenging;

(b) if so, the number of scavengers identified all over the country, State/Union Territory-wise; and

(c) what arrangements have been made to provide vocational training to them?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Yes, Sir. The concerned State Governments/U.T. Administrations have been requested to undertake a rapid survey to identify each individual scavenger and his dependent and their apptitude for specified alternative trades/occupations. The survey is in progress in most of the States.

(c) It is proposed to provide training upto six months to the identified scavengers and their dependents in various trades/occupations through the existing training schemes of the Central and the State Governments.

Waste water master plan for Cuttack

3460. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether his Ministry has received a proposal from Government of Orissa under small activities scheme for waste water master plan of Cuttack proposed by Australian High Commission; and

(b) if so, what are the details of actions and decisions taken by Gov-

ernment and by when this proposal is likely to be cleared for implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal has been posed under Small Activities Scheme of Australian Assistance in the month of February, 1992.

देश में शहरों के विकास की योजना

3461. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में उन शहरों की संख्या कितनी है जिनके विकास की योजना विचाराधीन है और उन शहरों की संख्या कितनी है जिनके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता उपलब्ध करायेगी;

(ख) राजस्थान में कितने शहरों के विकास की योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ग) अभी तक किन किन शहरों के विकास हेतु धनराशि की मंजूरी दी गई है और इनमें से प्रत्येक शहर के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और उसका मदवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) छोट और मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम एक चालू स्कीम है, जो 1979-80 के दौरान प्रारम्भ की गई। 31.3.92 तक आई.डी. एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत 517 कस्बों को लाभान्वित किया गया है और 176.17 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को रिलीज की गई है। आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव लागू दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार समय समय पर अनुमोदित किए जाते हैं। इस समय, आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अतर्गत किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के अन्तर्गत 31.3.92 तक रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता के कस्बे वार ब्यौरे अनुपत्र में दिये गये है। देखिये परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र मदों में स्थल और सुविधाएं मार्किट और मंडियां, यातायात और परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र विकास, इत्यादि शामिल है।

Slum improvement programme

3462. DR. ABRAR AHMED:
SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that DDA has launched a slum improvement programme for Jhuggi dweller's families; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Environmental Improvement in J.J. Clusters along with the related scheme of Jan Suvidha Complex in identified clusters is now im-